

पूर्व मध्य रेल
महाप्रबंधक कार्यालय हाजीपुर
पेंशन अदालत अधिसूचना 2023

रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या E(W)2023/PA/2 दिनांक 03.05.2023 के परिप्रेक्ष्य में महाप्रबंधक(कार्मिक) कार्यालय हाजीपुर द्वारा पेंशन परिवारों के निष्पादन हेतु दिनांक 17.05.2023 (बुधवार) को 16.00 बजे ऑन लाईन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेंशन अदालत -2023 का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है ।

ऑन लाईन विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित पेंशन अदालत में शामिल होने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी / मृत कर्मचारी के आश्रित अपने पेंशन से संबंधित परिवार का पूरा विवरण निम्न प्रारूप में भर कर महाप्रबंधक (कार्मिक) कार्यालय पूर्व मध्य रेल / हाजीपुर को दिनांक 17.05.2023 समय 14.00 बजे तक प्रेषित किया जा सकता है -

आवेदन का प्रारूप


1. आवेदक का नाम:-
2. भूतपूर्व कर्मचारी का नाम :-
3. पदनाम एवं अंतिम कार्यस्थल:-
4. भूतपूर्व कर्मचारी के साथ आवेदक/आवेदिका का संबंध:-
5. वर्तमान पता:-
6. सेवानिवृत्ति की तिथि:-
7. सेवानिवृत्ति के प्रकार (सामान्य/स्वैच्छिक/अनिवार्य):-
8. भूतपूर्व कर्मचारी की मृत्यु की तिथि :-
9. प्राप्त किया गया अंतिम वेतन एवं वेतनमान:-
10. सेवानिवृत्ति के समय नियंत्रक अधिकारी:-
11. पेंशन भुगतान आदेश (PPO) संख्या (प्रति संलग्न):-
12. शिकायतों का विस्तृत विवरण:-
- 13 आवेदक का मोबाईल संख्या -
- 14 whatsapp No-

पेंशन संबंधी परिवार उपरोक्त प्रारूप में भर कर दिनांक 16.05.2023 को 14.00 बजे तक निम्नलिखित माध्यमों से प्रेषित कर सकते हैं अथवा दिनांक 17.05.2023 के अपराह्न 14.00 से 18.00 बजे तक सीधे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इस **Video Web link <https://meet.google.com/foe-xpky-gru>** से जुड़ सकते हैं तथा पेंशन संबंधित परिवार दर्ज करा सकते हैं:-

1. (i) WhatsApp no. - 9771468046 (CSWI/HQ/HJP)
(ii) Email ID- birulyssamu655@gmail.com
2. By Hand - एकल खिड़की व्यवस्था (महाप्रबंधक (कार्मिक) कार्यालय कल्याण विभाग हाजीपुर ।

वैसी शिकायतें जो पेंशन से जुड़ी नहीं हैं जैसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना, आश्रितों के नियोजन कालबद्ध वेतन का भुगतान, भत्तो एवं वेतन बढ़ोत्तरी आदि का पेंशन अदालत के अंतर्गत विचारणीय नहीं होगी।

नोट :- जिन रेल कर्मचारियों की पेंशन साराशीकरण (कम्प्यूटेशन) की तिथि से सेवानिवृत्त की 15 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है पूरी होने पर पेंशन के भुगतान हेतु कृपया पेंशन वितरक पदाधिकारी (अर्थात बैंक/डाकघर आदि)से सीधे सम्पर्क करें ।


(प्रसाद कुमार)
सहायक कार्मिक अधिकारी/एमपीपी
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

संख्या : ECR/HRD/Settlement/Pension Adalat/2023

date - 15-05-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव --। प्रमुकाधि / हाजीपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. सहायक कार्मिक अधिकारी/एमपीपी कृपया वेबसाइट पर अपलोड करें ।
3. Shri Shamu Bariuly, CSWI/ECR/HJP:- आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. सूचना पट्ट